# पारिवारिक जीवन एवं स्वच्छन्दता

– मुरलीधर दुबे

स्वतंत्रता के अनेक रूप हैं। यह समय काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप परिभाषित होता है। जब कोई देश किसी अन्य देश का गुलाम होता है तो वहां स्वतंत्रता का अर्थ गुलामी से आजादी होता है। समाज स्वयं में अनेक कुरीतियों, अंधविश्वासों, गलत रीति-रिवाजों से बंधा रहता है। इनसे छूट भी स्वतंत्रता है। समय के साथ विज्ञान की प्रगति मनुष्य की सोच में बदलाव, रहन-सहन में परिवर्तन आदि समाज के पुराने विश्वासों को चुनौती देते हैं, और समाज के बदलाव का दौर प्रारंभ होता है। समाज कभी भी एक स्थिर इकाई नहीं रह सकता। वह परिवर्तनशील है, और बदलाव एवं अवश्यंभावी प्रक्रिया है। हम पुराने तौर-तरीकों को शनैः शनैः छोड़ते हुए नए तौर-तरीके अपनाने लगते हैं। यह कब और कहां से प्रारंभ होता है, और हमारे जीवन में कैसे प्रवेश कर जाता है, यह आसानी से समझ में नहीं आता है।

17वीं, 18वीं सदी में विज्ञान की प्रगति ने नए-नए कालोनियों को विकसित किया। औपनिवेशिक प्रवृत्ति में यूरोप के अनेक देशों यथा इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल आदि को समुंद्र पार अपनी कालोनियां स्थापित करने को प्रेरित किया। अमेरिका में इंग्लैंड की कालोनियां विकसित हुई। भारतवर्ष में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश शासन का राज्य स्थापित हुआ। कुछ भागों में फ्रांस तो कुछ में पुर्तगाल, स्पेन आदि की भी सत्ता कायम हुई। इनमें आपसी तकरार भी हुये। शासन सत्ता पर राजाओं के परिवार, कुलीन परिवार एवं धार्मिक गुरुओं का ही मुख्यता नियंत्रण था। आम आदमी, किसान, मजदूर शोषित था। उसकी भागीदारी शासन सत्ता में लगभग न के बराबर थी। इसने यूरोप के देशों के चिंतकों को 18 वीं सदी में उद्वेलित किया। वोल्टेयर ने जीवन के हर क्षेत्र में अन्यथा का विरोध करने का विचार दिया। मांटेस्क्यू ने व्यवस्था में कमियों को तार्किक ढंग से विवेचना करने का तर्क एवं विचार दिया। उनका मानना था कि शासन सत्ता में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका अलग अलग होनी चाहिए। कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरो एक हो का नारा दिया। ऐसे विचारों के संकलन से 'इनसाइक्लोपीडिया' का निर्माण किया गया, जिससे ये तार्किक विचार देश की सीमाओं के बाहर बुद्धिजीवी वर्ग, आम जनता तक पहुंच सके। शासन, सत्ता द्वारा भारी टैक्स एवं कठोर कानूनों का विरोध किये जाने लगा। लाक महाशय के विचारों ने अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई का श्री गणेश किया। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई

लड़ी और 1789 में अमेरिका ब्रिटिश राज्य के नियंत्रण से स्वतंत्र हो गया। यद्यपि वे अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1776 को मनाते है। थामस जेफर्सन ने वहां के समाज के लिए जीवन, स्वतंत्रता एवं खुशहाल होने की प्रवृत्ति (Life, Liberty and Pursuit to Happiness) का नारा दिया। वहां के समाज ने अपना अपना फेडरल कानून बनाकर शासन सत्ता की नई प्रणाली प्रारंभ की, जहां राज्यों को उचित स्वतंत्रता दी गई। तब से आज तक वे विकास के पथ पर अग्रसर है, और विश्व के अग्रणी देशों में है। वहां धरती पर पहला प्रजातंत्र कायम हुआ।

सन् 1789 मे ही फ्रांस की क्रांति हुई। युरोप के देशों में भी उथल-पुथल का दौर प्रारंभ हुआ। कुछ देशों ने प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था अपनाया, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस आदि, तो कुछ ने साम्यवादी व्यवस्था जैसे रूस, चीन एवं पूर्वी युरोप के कुछ देश। कालांतर में दो विश्व युद्ध भी लड़े गए। वहां के समाज में व्यक्ति के जीवन में भी उल्लेखनीय बदलाव हुआ। मूल रूप से यह माना गया कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है एवं उसे समान अधिकार प्राप्त है। आज विश्व में मुख्य रूप से दो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, प्रथम प्रजातांत्रिक व दूसरी साम्यवादी । कहीं कहीं राजशाही भी है परंतु वहां की जनता भी अपनी आजादी के लिए आवाज उठाती रहती है।

भारतवर्ष 15 अगस्त, 1947 को ब्रिटिश सत्ता के नियंत्रण से आजाद हुआ। यहां विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र कायम हुआ। यहां की आर्थिक व्यवस्था ना ही पूंजीवादी और ना ही साम्यवादी चुनी गई, बल्कि गुटनिरपेक्ष (non-aligned) चुनी गई। यहां अपना संविधान बनाया गया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसमें स्वतंत्रता के अनेक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। इसके उद्देशिका (Preamble) में ही न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता की बात कही गई है। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसके भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख है वस्तु अनुच्छेद 19 (2) में राजसत्ता द्वारा इन अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन (reasonable & restriction) कतिपय मामलों में लगाए जाने का भी उल्लेख है।

राज्य व्यवस्था में बदलाव के साथ समाज में सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव आना एक स्वभाविक परिणति है। यदि मनुष्य को अनेक तरह की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, तो निश्चय ही उसके व्यवहार में भी बदलाव आएगा। यह व्यवहार का बदलाव व्यक्ति का अपने प्रति, परिवार के प्रति एवं समाज के प्रति होता है। राष्ट्र के प्रति बदलाव एक सीमा तक ही स्वीकार्य होता है, क्योंकि कानून युक्ति-युक्त निर्बांधनों द्वारा व्यक्ति को आजादी से बाहर स्वच्छन्दता अथवा अराजकतावादी होने से रोकता है, परंतु जब यह स्वच्छंदता अथवा अराजकता व्यक्ति के अपने जीवन व

परिवार के प्रति व्यवहार में आती है, तो पुराने स्थापित मूल्य टूटते हैं, एवं नए-नए तौर-तरीके देखने को मिलते हैं। जब यह परिवर्तन किसी समाज में बड़े पैमाने पर होने लगता है, तो पुरानी एवं नई पीढ़ी के बीच टकराव, वाद-विवाद, असंतोष आदि को बढ़ावा देती है। यह भी सही है कि समाज के अति उच्च वर्ग अथवा अति निम्न वर्ग में यह बदलाव समाज को इतना प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उनकी संख्या कम होती है, परंतु जब यह अधिकांश मध्यम वर्ग के समाज को प्रभावित करता है, तो आवाज उठना स्वभाविक है। परिवारिक जीवन में आ रहे बदलावों को हम इसी पृष्ठभूमि से विवेचित करने का प्रयास करते हैं।

हमारे अपने समाज में विवाह एक पवित्र बंधन है, जो कई जन्मो तक का माना जाता है। विवाह के समय लड़की को लक्ष्मी के रूप में एवं लड़के को विष्णु भगवान के रूप में मानकर पैर पूजा होती है, और सात वचनों के उपरान्त अग्नि के फेरो के साथ में पति-पत्नी के रूप में एक-दूसरों को स्वीकार करते हैं। इन सात फेरों, वचनों में लड़की की 4 शर्ते एवं लड़के की 3 शर्ते होती है। सभी देवी-देवताओं को साक्षी के रूप में आह्ववाहन किया जाता है। दोनों पक्ष के पंडितों के अतिरिक्त उनके सगे-संबंधी, मित्र आदि मौजूद होते हैं। ऐसे विवाह में सेक्स (काम) एक छुपा हुआ, परंतु महत्वपूर्ण पहलू होता है। वास्तविक उद्देश्य उस जोड़े द्वारा परिवार/वंश को आगे बढ़ाना, उसके मान-सम्मान में वृद्धि एवं समाज को जिम्मेदार, प्रबुद्ध नागरिक उपलब्ध कराना होता है।

विवाह सभी धर्मों में एवं सभी समाज में स्त्री-पुरुष के संबंधों को एक सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। आदि काल से ही विवाह के अनेक रूप रहे हैं, परंतु सबसे अधिक मान्यता एवं चलन ऐसे विवाह पद्धति की ही रहती है, जिसमें दोनों पक्ष के सगे-संबंधी एक उत्सव के रूप में अपने-अपने रीति-रिवाजों के अनुरूप वर-वधू को वैवाहिक गठबंधन में बांधते हैं। ऐसा नहीं है कि पति-पत्नी के संबंध सभी मामलों में आजीवन मधुर रहे हो, परंतु सामान्यतः संबंधों की कड़वाहट एक सीमित दायरे के बाहर नहीं आ पाती थी। हमने अपने बाप-दादाओं को कभी भी आज के जोड़ों की भांति हाथों में हाथ डाले घूमते नहीं देखा, परंतु ना तो उनके मध्य प्यार की कमी थी एवं न ही एक दूसरे के प्रति सम्मान अथवा जिम्मेदारी का अभाव। हां, बाहरी दिखावा नहीं था और वंश वृद्धि मे भी कमी नहीं होती थी। समय के साथ इन सब में तेजी से बदलाव हमारे समाज में आ रहा है। यह कुछ फिल्मों का प्रभाव, कुछ पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का प्रभाव, कुछ पति-पत्नी के स्वतंत्र विचार कुछ खुद उनके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने, कुछ आध्यात्मिक संस्कृति से दूर होते जाने, कुछ एकाकी परिवार बसाने की चाहत एवं संयुक्त परिवारों के टूटने के कारण हो सकते हैं। पहले जब संयुक्त परिवार होते थे, तो बच्चों का पालन पोषण समस्त परिवार की जिम्मेदारी होती थी। किसी एक व्यक्ति के साथ कोई अप्रत्याशित घटना होने पर समस्त परिवार मिलकर उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लेता था। धीरे-धीरे संयुक्त परिवार विकास की भौतिकतावादी प्रभाव के कारण

टूटते जा रहे हैं। शादी के उपरांत नव दंपत्ति अलग कहीं अपना परिवार बसाता है और संयुक्त परिवार से भी संबंधों को नहीं बनाए रखना चाहता। उनका कुल उद्देश्य अपने एवं अपने बच्चों के लिए मकान, गाड़ी, अन्य भौतिक सुख-सुविधाओं को अति शीघ्र प्राप्त कर लेना होता है। ऐसे में अपने माता-पिता एवं भाई-बहनो के प्रति अपने उत्तरदायित्व को वह बोझ समझने लगता है।

पति पत्नी-सुख शांति से रहे तो भी गनीमत है। परंतु आजकल हर परिवार या उनके निकट संबंधों में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, जहां पति पत्नी का एक दूसरे पर से विश्वास खत्म होता जा रहा है और तलाक के मुकदमे दायर हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा हैं, यह विचारणीय है।

पति पत्नी के बीच पारिवारिक संबंध प्रगाढ़ तभी होते हैं जब वह सहनशीलता, सामंजस्य एवं एक दूसरे के प्रति आदर भाव पर टिका हो। कुछ पीढ़ी पूर्व विवाह में लड़के-लड़कियों का महत्व व योगदान कम परिवारों के रिश्तो का महत्व अधिक होता था। पति-पत्नी में छोटे-छोटे मुद्दो पर तनाव एवं पुनः संबंध का और प्रगाढ़ होना एक स्वाभाविक रूप था। हमने पुरानी पीढ़ी में पारिवारिक न्यायालयों में तलाक का मुकदमा दायर होने की बात कभी नहीं सुनी। हां, बोलचाल बंद, होना बच्चों के माध्यम से अपनी बातो को पहुंचाना एक सामान्य प्रक्रिया थी, परंतु उनमें आंतरिक प्यार व आदर का अभाव होना किंचिंतमात्र भी नहीं था। आज

की पीढ़ी शादी के पूर्व एक दूसरे को अच्छी तरह जान पहचान लेती है। अंतर्जातीय विवाह भी प्रायः हो रहे हैं। चाहे वह घर वालों की सहमति से भले ही ना हो। पढ़ाई के दौरान ,नौकरी के दौरान, दोस्ती होना एक आम चलन हो गया है। पहले यदि पार्क में कोई लड़की-लड़का एक साथ घूमते थे तो वह कौतूहल का पात्र बनते थे, और कई बार हूटिंग भी होती थी, परंतु अब यह एक आम बात हो गई है। पार्कों में लड़के-लड़कियों का आपस में मिलना एवं कई बार सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक हरकतें करना भी फैशन हो गया है। सामान्य व्यक्ति भी यह मानकर आगे बढ़ जाता है कि इससे मेरा क्या लेना देना। कई बार लिव-इन रिलेशनशिप के रिश्ते बन रहे हैं। इन सब के बावजूद तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। न्यायालयों में संबंध विच्छेद/ तलाक के मुकदमे बढ़ रहे हैं। कदाचित स्वतंत्रता की बजाए स्वच्छन्दता का व्यवहार में आना एक महत्वपूर्ण कारण है।

साठ के दशक तक विकास का यह रूप हमारे जीवन में एवं विशेष रूप से ग्रामीण जीवन में नहीं था। सड़के कच्ची थी या नहीं थी। बिजली गांव तक नहीं पहुंची थी। पीने के लिए पानी कुंए से निकाला जाता था। उसमें भी प्रायः कीड़े पड़े होते थे। सिंचाई के लिए ठेकुल, रहट, मोंठ आदि थे। आज के डीजल इंजन एवं विद्युत मोटर व्यवस्था लगभग ना के बराबर थी। खेती के उपकरणों में हल-बैल ही थे। ट्रैक्टर व अन्य सामान नहीं। घरों में औरतों का काम करना एक आवश्यक प्रक्रिया थी। अपने प्रयोग के लिए आटा घर की चक्की में औरतों द्वारा ही तैयार होता था।

मूसल, ओखली का प्रयोग बहुतायत था। शौचालयों की वर्तमान व्यवस्था नहीं थी। तन के कपड़े बहुत कम संख्या में थे। पैरों में चप्पल भी सभी को मयस्सर नहीं थी। कुल मिलाकर जीवन एक कठिन एवं श्रमपरक था। बीमार पड़ने पर स्थानीय वैद्य के अलावा और कोई उपचार नहीं था। जीवन में पैसों का अभाव था। बड़े स्थानों पर इलाज कराना लगभग असंभव सा था। स्कूल कॉलेजों का अत्यंत अभाव था। इन सब के बावजूद समाज एवं परिवार में समरसता थी। जात-पात का भेदभाव उतना परिलक्षित नहीं होता था, जितना आज के दौर में हो गया है। जीवन में श्रम की अनिवार्यता के चलते सामान्य स्वास्थय ठीक रहता था, एवं सामान्य जीवन भी 80 वर्ष से कम नहीं था। महामारी आदि अपवाद है। इन सब अभावों के बाद भी पति-पत्नी के रिश्तो  मे एक मिठास थी। तलाक आदि की बात तो सुनी ही नहीं जाती थी।

आज हमने काफी विकास कर लिया है। सड़के लगभग हर गांव में पहुंच गई है। बिजली का भी विस्तार काफी हो चुका है। पीने के पानी के लिए हैंडपंप, ट्यूब वेल, वाटर सप्लाई व्यवस्था आदि विकसित हो गई है 'आर-ओ' सिस्टम या 'मिनरल वाटर' व्यवस्था अब सामान्य होता जा रहा है। स्कूल कालेजों की भरमार है। यातायात के साधन सुलभ है। मोटर साइकिल, मोटर कार अब सर्वसुलभ है। शायद ही कोई परिवार होगा, जहां इनमें से एक या अनेक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। मेडिकल सुविधाएं भी अब अच्छी विस्तारित हो चुकी है। प्रत्येक जिला या मंडल स्तर पर मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। 'स्पेशलाइज्ड' मेडिकल सुविधाएं भी आम आदमी

की पहुंच में है। लोगों की सामान्य आमदनी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के नवयुवक महानगरों में जाकर धन कमा रहे हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं। ट्रेन, हवाई-जहाज की भी सुविधाएं अब तेजी से बढ़ी है, जिनका उपयोग आम आदमी की पहुंच में है। ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों के स्वरूप में निरंतर बदलाव आ रहे हैं। पक्के घर एवं बहुमंजिला इमारतें अब सामान्य होते जा रहे हैं। विकास की इस धारा ने संयुक्त परिवारों की परिपटी को तोड़ा है। कुछ स्वतंत्र रूप से रहने की ललक एवं कुछ आर्थिक मजबूरी ने नई पीढ़ी की सोच में बदलाव किया है। भारतीय संस्कृति की नींव आध्यात्मिक, संस्कृति, त्याग व बलिदान का लोप होता जा रहा है। व्यक्ति स्वयं एवं अपने परिवार तक सीमित होता जा रहा है। ऐसे में अपने ही परिवार में पति-पत्नी के संबंधों में खटास, स्वच्छन्दता का आना भी स्वभाविक है।

मोबाइल, इंटरनेट के विस्तार ने भी आग में घी का काम किया है। शादी के पूर्व 'बॉयफ्रेंड' एवं 'गर्लफ्रेंड' के रिश्ते आदि शादी के बाद भी कायम रहेंगे, तो पत्नी-पत्नी के रिश्तों में खटास आना स्वाभाविक है। यह सही है कि काम (सेक्स) वैवाहिक जीवन का मूल आधार है। सेक्स को जवानी का फूल कहा गया है। समय के साथ-साथ इसमें भी अनेक बदलाव आ रहे हैं। L.G.B.T. की बात होना अब आम है। L यानी Lesbian, G यानी Gay, B यानी बाईजेन्डर (उभयलिंगी) एवं T यानी Transgender। इनमें सभी के अपने समूह हैं, जो अत्यंत क्रियाशील हैं, और अपने

अधिकारों के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। न्यायालयों ने भी दो व्यस्क व्यक्तियों के बीच इस तरह के आपसी संबंधों को आपसी सहमति से होने पर कानूनी रूप से जायज माना है। तलाक के आधारों के कई मामलों में गुदामैथुन, मुखमैथुन आदि भी आधार लिए जा रहे हैं।

हर व्यक्ति के अंदर काम भावना अलग अलग होती है। यह जन्मजात गुण है। कुछ मामलों में बचपन की विपरीत परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती है। किसी व्यक्ति में यह गुण अतिआक्रामक तो कुछ में सामान्य स्तर की होती है। परित्याग (desertion) एवं क्रूरता (cruelty) तलाक के आधारों में मुख्यतः रहते हैं। क्रूरता शारीरिक अथवा मानसिक हो सकती है। तलाक के अनेक मामले हर जिले के पारिवारिक न्यायालय में परिवाद के रूप में, उच्च न्यायालयों में प्रथम अपील के रूप में एवं इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। अनेक मामले प्रतिदिन निर्णीत भी हो रहे हैं। कुछ मामलों में तो यह शोषण का माध्यम भी बन गया है। दहेज उत्पीड़न भी तलाक के आधारों में लिया जाता है। पति-पत्नी के बीच संबंध खराब होने पर कई वाद दोनों पक्षों को लड़ने होते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act), दहेज उत्पीड़न अधिनियम (Prevention of Dowry Act), भरण पोषण का वाद, तलाक का वाद आदि भी विभिन्न धाराएं लागू होती है। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता (I.P.C.) की धाराएं भी हिंसा के मामलों में लागू होती हैं। इस प्रकार दोनों परिवारों को अनेक मुकदमों की पैरवी में अपना

समय, श्रम, धन बरबाद करना पड़ता है। कई बार मुकदमे पूरी जिंदगी चलते हैं, और पूरी जवानी इसी में बर्बाद हो जाती है। अंत में यदि तलाक मिलता भी है, तो भारी कीमत चुकाने के बाद। इस बीच यदि बच्चे भी रहे हों तो उनके ऊपर अत्यंत विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, और उनका भी जीवन, पालन-पोषण बुरी तरह प्रभावित होता है।

इन सब के जड़ में जाया जाए तो अनेक बार अनेक कारण ऐसे होते हैं, जिनको शुरू से ही रोकने का प्रयास किया जाए तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब विवाह पूर्व दोनों एक दूसरे को जान-समझ कर शादी करते हैं, तो शादी के उपरांत पुराने संबंधों को कायम रखना उचित नहीं है। किसी एक द्वारा मोबाइल के जरिए पुराने फ्रेंड से वार्ता जारी रखना पति पत्नी में से किसी भी दूसरे को अच्छा नहीं लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। हमारा समाज, शिक्षा प्रणाली, सोच इतनी परिपक्व नहीं है, कि इसे हल्के में ले। बात-बात में तनाव बढ़ता जाता है, चाहे प्रत्यक्ष तौर पर कारण कुछ और ही हो शादी के उपरांत पुराने संबंधों को दफन कर देना एक समाधान हो सकता है। एक पुराना शेर है-

"वो अफसाना अगर अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा"

समय के बदलाव के साथ अब लड़कियां भी पुराने जमाने की तरह हर परिस्थिति में समझौता कर लेने वाली एवं दबकर रहने वाली नहीं हैं। कानूनों ने भी उनको अधिकार एवं अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा प्रदान कर रखी है। अतः पुरुष प्रधान समाज की सोच अब पुरुषों में होना भी उचित नहीं है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य एवं सहनशीलता अति आवश्यक है। यदि एक किसी बात पर नाराज है, तो दूसरे को धैर्य व संयम से कार्य लेना चाहिए। घरेलू कार्यों में एक दूसरे का हाथ बटाना भी अब चलन में आ गया है। अमेरिका में रहने वाले जोड़े हर कार्य कर लेते हैं, क्योंकि वहां घरेलू नौकर-नौकरानियों की सुविधा नहीं है। उनमें श्रम के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। घर की सफाई, बर्तन साफ करना, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल करना, दोनों ही कर लेते हैं। हमारे यहां अभी इस क्षेत्र में मानसिक बदलाव धीरे-धीरे आ रहा है, परंतु कई मामलों में यह भी पति-पत्नी के बीच तनाव का कारण बनता है। खासकर यदि, माता-पिता भी साथ मे हैं।

पति पत्नी के रिश्ते मे वफादारी व बेवफाई का भी अहम रोल है। यदि परिवार धार्मिक/आध्यात्मिक मूल्यों से बंधा है तो दोनों में से किसी एक को भी बेवफाई करना पाप करने के समान लगेगा। उनमें आत्म ग्लानि आएगी और वे डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। दूसरे पक्ष में आक्रामकता भी आ सकती है परंतु बेवफाई भी आजकल एक फैशन सा होता जा रहा है। तलाक के कारणों में यह भी एक महत्वपूर्ण कारण बनता जा रहा है। ज्यादातर जोड़ों का एक दूसरे पर

पूर्ण विश्वास होता है। अतः इस क्षेत्र मे समाज में अपने आचरण को अत्यंत ही मर्यादित एवं संवेदनशील तरीके से निभाना ही उपयुक्त है, विशेषकर नौकरी पेशा जोड़ों को मर्यादित सीमा अर्थात लक्ष्मणरेखा लांघना उचित नहीं है। अंत में यह पारिवारिक जीवन की शांति को प्रभावित करता है।

मातृत्व हर महिला का एक महत्वपूर्ण अधिकार है। बिना इसके किसी समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। विवाह इसी को एक सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। विवाह चाहे प्रेम विवाह हो, अंतर्जातीय हो, सामाजिक रीति रिवाज द्वारा आयोजित विवाह हो, सभी के मूल में कामवासना एवं परिवार वृद्धि की इच्छा होती है। पत्नी से अच्छा दोस्त जीवन में कोई और नहीं हो सकता। सारे रिश्ते धीरे-धीरे पीछे छूट जाते है, परंतु पति-पत्नी का रिश्ता अंतिम समय तक रहता है। जवानी के दिनों में भावावेश मे अथवा में छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करके ही इसकी नीव सुदृढ़ की जा सकती है। यदि संबंधों में कोई झटका आता भी है तो इससे उपजे सदमे एवं गुस्से को दृढ़ इच्छा शक्ति में परिवर्तित कर आगे बढ़े, ना की नकारात्मक सोच के साथ। जीवन के रास्ते हमेशा सपाट नहीं होते, उबड़-खाबड़ रास्तों से भी गुजरना पड़ता है। परंतु यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो कोई बाधा आप को रोक नहीं सकती। जीवन का आनंद तो उम्र के हर पड़ाव पर है। आवश्यकता है धीरे-धीरे धैर्य के साथ जीवननैया आगे बढ़ाने की।

हाल के वर्षों में कुछ उदाहरण देखने को मिले, जो वास्तव में अत्यंत ही विचलित कर देने वाले हैं-

1- एक जोड़े का विवाह हुये 25 वर्ष लगभग हो गये, उनके दो वयस्क पुत्र बालिग एवं पढ़ाई कर रहे हैं। पत्नी गृहिणी उनके मन में अपने बचपन के दोस्त के प्रति प्रथम प्यार का बीज अभी भी अंकुरित था। पति के आचरण में जुआ खेलने का आरोप लगाकर व पति का घर छोड़कर चली गयी और समाज तथा लोक लज्जा का परवाह किये बिना वे अपने उस अविवाहित बचपन के दोस्त के साथ रह रही है। परिवार न्यायालय में उनके तलाक का परिवाद खारिज हो गया। अपील उच्च न्यायालय में लंबित है।

2- दोनो पढ़े लिखे इंजीनीयर व डाक्टर । शादी के बाद हनीमून मे अंडमान गये। वहां पत्नी का यह बताना कि उसकी शादी उसकी मर्जी के विपरीत हुई है, अतः तलाक दे दो। लौटकर दोनो परिवारो के समझाने बुझाने के बाद भी मामला शांत नही। अंत में तलाक आदि का कई वाद। समझौते के प्रयास उच्च न्यायालय स्तर पर। कुछ लेन-देन के साथ समझौता।

3- दोनो पढ़े लिखे नौकरी मे। शादी हुई। शादी के बाद लड़के का आरोप कि उसने शादी के पहले लड़की को ठीक से नही देखा। माता-पिता के दवाब में उसने शादी कर ली। अब वह लड़की से तलाक चाहता है।

यह सभी उदाहरण परिवारिक जीवन में सजातीय विवाह तथा अरेंज मैरिज के बावजूद स्वच्छन्दता नहीं तो और क्या कहे जा सकते हैं। अंतरजातीय विवाहों में 'ऑनर किलिंग' की बात आए दिन सुनने में आ रही है। 'लव जेहाद' जैसे शब्दों का आगमन भी समाज में हो गया है। यद्यपि न्यायालय एवं कानून ऐसे जोड़ों की सुरक्षा हेतु सतत प्रयत्नशील हैं, फिर भी सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि इस घटनाओं से माता पिता समाज में लोक-लज्जा एवं तिरस्कार, व्यंग्य के वाणों की मार झेलते हैं। उनका जीवन अधमरा सा हो जाता है। बच्चा पैदा होने से लेकर उसे बड़ा करने उसको पढ़ाने लिखाने तक मां बाप कितना त्याग करते हैं यह किसी एक नवजात शिशु की देखभाल के प्रयासों, उसके स्वास्थ्य के प्रति चिंता, स्कूल-कॉलेज से बच्चे के घर न लौटने तक मानसिक उद्देश्य, स्कूल-कालेजों के बाहर 'गार्जियंस' की भीड़, उनके देखभाल, सुख-सुविधा, रहन-सहन पर खर्चा आदि से आसानी से समझा जा सकता है। इस बात की कोई कीमत नहीं आकीं जा सकती है। इतनें वर्षों में मां-बाप का अपने बच्चो के प्रति आंतरिक लगाव, भावना मे, उनसे अपेक्षा में अपने चरम पर पहुंच जाती है। ऐसे में लड़के या लड़की उनकी इच्छा के विपरीत जब शादी करते है, अथवा घर छोड़कर किसी अन्य के साथ भाग जाते है, तो मां-बाप की भावना इतनी आहत होती है। ये उनके अलावा कोई अन्य नहीं समझ सकता है। उनके जीवन में एक अजीब शून्यता, हताशा क्रोध, ग्लानि, किंकर्तव्यविमूढ़ता, बदले की भावना आदि अचानक आ जाती है जिसके लिए उन्होंने कभी सोचा नहीं

था। अधिकांश लोग इसे भाग्य का खेल समझकर स्वीकार कर अधमरा जीवन निरूत्साह के साथ जीते हैं। कुछ 'ऑनर किलिंग' जैसे अतिवादी कदम भी उठाते हैं। परंतु शासन सत्ता, न्यायालय उनका साथ नहीं देता। परिणामतः उन्हें जेल जाना पड़ता है। वयस्क लड़के-लड़कियों द्वाराअपनी मनोवैज्ञानिकता से ऐसी घटनाओं के पक्ष में तर्क दिये जाते है एवं अपने कार्य को उचित ठहराने का प्रयास किया जाता है। कई बार कुतर्क भी दिए जाते हैं कि यह तो पशु पक्षियों के साथ भी होता है। परंतु हमें नहीं भूलना चाहिए कि पशु-पक्षियों की याददाश्त मनुष्य जैसी नहीं होती है और ना ही उनकी भावनाएं ही इतनी प्रबल होती हैं। कालांतर में ऐसे जोड़े अपने अपने घरों से संबंधों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास भी करते थे, परंतु मानव संबंध एक लचीली रस्सी की भांति है, जिसे एक सीमा तक ही खींचा जा सकता है। टूटने पर उसके जुड़ने की संभावना नहीं रहती है।

वयस्क जोड़ों का समाज में विद्रोह करके विवाह करना कोई नई बात नहीं है। यह हमेशा से होता आ रहा है, परंतु यदि यह परिवारों की सहमति से संबंध में बदले तो बुरा नहीं। अन्यथा अनेक तरह का वितंडावाद हमेशा ही होता रहता है। आजकल इसमें ज्यादा ही वृद्धि हमारे समाज में देखी जा सकती है। फिर भी यदि एसा जोड़ा प्रेम भाव, शांति से अपना जीवन व्यतीत करे तो मां बाप भी अपनी उचित दूरी बनाए रखते हुए अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। परंतु समस्या तब आती है जब उनके वैवाहिक जीवन में  स्वच्छन्दता का पुनः प्रवेश होता है।

विवाहेतर संबंध बनाना भी एक फैशन होता जा रहा है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति ही ऐसी होती है कि जो चाहते हैं वह उन्हें मिलता नहीं और जो मिलता है उससे मोहब्बत नहीं होती। यह मनोवैज्ञानिकता जीवन में अति दुखदायी होती है। यदि आपने विवाह कर लिया है, तो उसे निभाना भी आना चाहिए। पति अथवा पत्नी का ऊपरी सौंदर्य तो कुछ दिनों का ही होता है। असली सौन्दर्य उनका चरित्र, व्यवहार, समाज में एवं परिवार में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, सहनशीलता, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, आदर भाव आदि होता है। ऐसे बहुत से जोड़ हैं, जिनमें एक देखने में सुंदर नहीं है परंतु उनका पारिवारिक जीवन अति सुंदर है। सुंदरता तो एक तुलनात्मक वस्तु है। महत्वपूर्ण है अपना नजरिया।

समाज में एक नई सोच दूसरे देशों के चलन को देखकर आत्मसात करने की बढ़ रही है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हर देश समाज का अपना इतिहास, भौगोलिक स्थिति, परिस्थितियां भिन्न हैं जहां रीति-रिवाज समय के साथ-साथ विकसित होते रहे हैं। अमेरिका में विश्व के अनेक देशों के लोग बाहर से जाकर बसे हुए हैं और उन्होंने एक देश का निर्माण 18वीं सदी के अंत में किया। यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई नये देशों का उदय हुआ। उनके यहां सामान्यता देशों की सीमाएं भी मायने नहीं रखती। तलाक उनके यहां एक अत्यंत खर्चीली घटना है। पति को अपनी समस्त आय का आधा पत्नी को देना पड़ता है। अभी हाल में मशहूर मुक्केबाज जो फ्रेजियर एवं आमेजन कंपनी के मालिक के

तलाक के किस्से प्रकाश में आये हैं। हमारे यहां तलाक एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है। सामान्यता एक पक्ष इसमें सहमत नहीं रहता और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है। हमारे समाज की मान्यतायें भी दूसरे देशों से भिन्न है। विदेशों में वयस्क होने पर किशोर अपने मां बाप पर निर्भर नहीं रहते और एक स्वतंत्र जीवन जीने की ओर अग्रसर होते हैं। शादी भी काफी सोच-समझकर उचित समय पर करते हैं, भावावेश में नहीं। मां बाप की वह मनोवैज्ञानिक की स्थिति नहीं बनती, जो हमारे यहां समाज में बनती है। वहां के समाज में लड़की होना बोझ नहीं समझा जाता है। उन्हें भी लड़कों की तरह अपना कैरियर, जीवन साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। इससे वहां मां-बाप हमारे समाज की तरह लड़की की शादी के सामाजिक तनाव में नहीं रहते हैं। यदि शादी कालांतर में टूटती भी है, तो उनके सामने अन्य विकल्प खुले हैं क्योंकि उनका समाज लंबे समय में ऐसी व्यवस्था विकसित कर सका है।

हमारे यहां पर परिस्थितियां भिन्न हैं। अभी वैसी मानसिकता विकसित नहीं हुई है। फिर यहां कि धर्म संस्कृति, रीति-रिवाज, मान्यतायें अलग है। हमें किसी अन्य की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। एक धारणा मुस्लिम समाज में तीन तलाक को लेकर भी गलत व्याप्त है कि एक झटके में ही तीन तलाक कह देने मात्र से तलाक पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं है। तीन तलाक की भी अपनी शर्ते हैं व लिखित या मौखिक हो, उचित कारणों पर आधारित हो, दोनों पक्षों के एक-एक मानिंद व्यक्तियों द्वारा सुलह का प्रयास किया गया हो, दो गवाहों के सामने हो एवं लड़की

को उचित तरीके से संसूचित हो। इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद पारिवारिक न्यायालय से घोषणातमक डिक्री करानी होती है। हारा हुआ पक्ष प्रथम अपील में उच्च न्यायालय जाता है। इस प्रकार उनके यहां भी एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है।

जीवन तो क्षणिक एवं नश्वर है। जीवन में विवाह अथवा जीवन साथी चुनना जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, परंतु जीवन तो इसके आगे भी है। मनुष्य को मनुष्य की भलाई के लिए मानवीय गुणों के विकास एवं बुराइयों को दूर करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। दूसरों की मदद, परोपकार ,मां बाप की सेवा, किसी भी किए गए एहसान का कर्ज उतारना, बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना आदि अनेक कार्य हैं, जो दोनों लोग मिलकर आसानी से कर सकते हैं। विपरीत इसके आपसी जिंदगी नरक बनाना एवं परिवार को इसके तनाव में झोंकना जीवन की व्यर्थतता ही है। अतः पारिवारिक जीवन में स्वतंत्रता के कुछ भावों को आपसी तालमेल से अंगीकार करने एवं स्वच्छन्ता की मर्यादा न लाघने से ही जीवन की सार्थकता, परिवार व समाज की मर्यादा एवं भलाई है। पारिवारिक जीवन में वैवाहिक जीवन का आनंद एवं कामवासना का दारयरा एक सीमा तक ही रहता है। जीवन के अंत में सभी आध्यात्मिक हो जाते हैं, तब अगले जन्म की चिंता सताती है। अध्यात्मिक जीवन में मनुष्य को सबसे पहले काम कर नियंत्रण की सलाह दी जाती है, क्योंकि काम, क्रोध मद लोभ आदि ही मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। गीता में भी अध्याय 3 श्लोक 41 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है

"इसलिए हे अर्जुन! तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान व विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल"

काम ही मन, बुद्धि एवं इंद्रियों को प्रभावित करने वाला माना गया है। मन व बुद्धि का अंतर्द्वद जीवन पर्यन्त चलता है। यदि बुद्धि हावी रहती है तो मनुष्य विवेकशील बना रहता है। मन के हावी होने पर मनुष्य गर्त में गिरता चला जाता है। यदि हम पहले के ऋषि मुनियों की कुछ कहानियों को छोड़ भी दें तो अभी हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों में कामवासना के वशीभूत स्वच्छंद आचरण करने पर ना केवल अपनी सामाजिक मर्यादा, मान-सम्मान, अपने साम्राज्य का सुख भोग छोड़ना पड़ा बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ी। ऐसे कुछ लोगों का नाम आसाराम बापू, राम रहीम और तथाकथित कई और धार्मिक गुरुओं के रूप में लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार कई बार नेता अफसर भी इसके शिकार हुए हैं, जिन्हें अपने मन की स्वच्छंदता के चलते अपनी पद-प्रतिष्ठा गवानी पड़ी और जेल भी गए अथवा मुकदमे के मकड़जाल में फंसे हैं, जैसे कि गायत्री प्रजापति, एम0जे0 अकबर आदि।

स्त्रियों की स्थिति हमारे समाज में देवी के रूप में हमेशा पूज्य रही है। यह हमारे समाज में ही है कि उन्हें समय एवं उम्र के अनुरूप बेटी, बहन, पत्नी भाभी, चाची, ताई, दादी, नानी आदि की पदवी मिलती है। पाश्चात्म सभ्यता उन्हें हर उम्र में प्रायः एक स्त्री के रूप में ही देखती है। अतः स्त्रियों को भी अपने सम्मान की रक्षा

के लिए स्वतंत्रता के मर्यादित दायरे में रहते हुए स्वच्छन्दता की मनोवृद्धि से बचना चाहिए, अन्यथा उनका पतन उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को और गहरी चोट पहुंचाता है। पारिवारिक जीवन में त्रुटियों को स्वीकारना, क्षमा मांगना एवं क्षमा करना भी एक अच्छा गुण है। निंदा से दूर रहना श्रेष्ठकर है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि पारिवारिक जीवन में आधुनिक समय व काल के अनुरूप मर्यादित स्वतंत्रता का आचरण उचित है परंतु स्वच्छंदता का प्रवेश पारिवारिक जीवन को तहस-नहस कर डालता है। इससे बचना ही पारिवारिक जीवन के सुख शांति का आधार है। जीवन में उत्सुकता बनाए रखिए, दुनिया में ढेर सारे अवसर उपलब्ध हे।

—क्रमशः

— अध्यक्ष / प्रबंधक न्यासी सदस्य

अज्ञानाश्रम ट्रस्ट